मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 197] भोपाल, सोमवार, दिनांक 25 मई 2009—ज्येष्ठ 4, शक 1931

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 मई 2009

क्र. डी-15-01-09-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 7 की उपधारा (2) और धारा 9 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 79 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खण्ड (तेरह), (बत्तीस) और (तैंतीस-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, जिसका प्रकाशन धारा 79 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पूर्व में किया जा चुका है, अर्थात्:—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम.**—इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (भूमि एवं संरचना का आवंटन) नियम, 2009 है.

2. **परिभाषाएं.**—(क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश कृषि; उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973);

(ख) ''बोर्ड'' से अभिप्रेत है, अधिनियम के अधीन स्थापित मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड;

(ग) ''भूमि'' से अभिप्रेत है, मण्डी समिति में निहित, उसकें स्वामित्व की या उसके द्वारा धारित कोई भूमि;

(घ) ''अनुज्ञप्तिधारी'' से अभिप्रेत है, इन नियमों के अधीन भूमि तथा/या संरचना की अनुज्ञप्ति धारण करने वाला कोई व्यक्ति;

(ङ) ''प्रबंध संचालक'' से अभिप्रेत है, अधिनियम के अधीन नियुक्त मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड का प्रबन्ध संचालक;

(च) ''मण्डी समिति'' से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 11 के अधीन गठित की गई समिति;

(छ) ''मण्डी समिति का सचिव'' से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 27 के अधीन नियुक्त किसी मण्डी समिति का सचिव;

(ज) ''संरचना'' से अभिप्रेत है, मण्डी प्रांगण या उप मण्डी प्रांगण में कोई भवन या संरचना और उसमें सम्मिलित है मण्डी समिति द्वारा धारित या उसके स्वामित्व में की दुकान, दुकान-सह-गोदाम, गोदाम, भाण्डागार, शीतागार, शेड, वे-ब्रिज, प्लेटफार्म, चबूतरा, शौचालय, पेट्रोल/डीजल पम्प, विश्रामगृह, कैन्टीन, मृदा-परीक्षण प्रयोगशाला तथा क्लीनिक;

(झ) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का जो इन नियमों में प्रयुक्त है, किन्तु परिभाषित नहीं है, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए समनुदेशित है.

3. **आवंटन के सामान्य सिद्धान्त**—(1) मण्डी समिति की कोई भी भूमि या संरचना, इन नियमों में यथा उपबंधित रीति के सिवाय आवंटित नहीं की जाएगी.

(2) किसी भूमि या संरचना का आवंटन केवल कृषि उपजों के विपणन में सहायक या कृषकों की सुविधा के लिये वांछनीय प्रयोजन के लिये अथवा उनके अनुषंगी किसी प्रयोजन, जैसे कि दुकान, दुकान-सह-गोदाम, गोदाम, भाण्डागार, शीतागार, शेड, वे-ब्रिज, प्लेटफार्म, चबूतरा, शौचालय, पेट्रोल/डीजल पम्प, विश्रामगृह, कैन्टीन, मृदा-परीक्षण प्रयोगशाला तथा क्लीनिक के लिये किया जाएगा. कोई प्रयोजन इस प्रवर्ग में आता है या नहीं, इस बिन्दु पर प्रबंध संचालक का विनिश्चय अंतिम होगा.

(3) भूमि या संरचना का आवंटन, सामान्यतया 30 वर्ष की कालावधि के लिये अनुज्ञप्ति पर किया जाएगा और पट्टे पर नहीं किया जाएगा.

(4) किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक भू-खण्ड या संरचना का आवंटन नहीं किया जाएगा.

(5) किसी दुकान-सह-गोदाम या किसी गोदाम के लिये भूमि या संरचना का आवंटन केवल ऐसे व्यक्ति को किया जाएगा जो, अधिनियम के अधीन यथास्थिति, व्यापारी/प्रसंस्करणकर्ता अथवा भांडागारपाल के रूप में अनुज्ञप्ति धारण करता है.

(6) भूमि या संरचना के आवंटन के लिये नीलाम/या मोहर बन्द लिफाफे में/प्रस्थापना (offer) का आमंत्रण पद्धति का अनुसरण किया जाएगा:

परन्तु, राज्य सरकार/भारत सरकार के किसी विभाग या अर्द्धशासकीय संस्था, यथा निगम/मंडल/मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अधीन पंजीकृत सहकारी संस्थाओं को भूखण्ड/संरचनाओं का आवंटन प्रबंध संचालक के पूर्व अनुमोदन के पश्चात् कलेक्टर द्वारा निर्धारित कीमत या मूल्य पर किया जायेगा. तथापि, राज्य सरकार रियायत कीमत/मूल्य पर आवंटन के लिए अनुज्ञात करने के लिए सशक्त होगी.

(7) (क) मण्डी के नवीन प्रांगण में स्थानान्तरित होने की दशा में, व्यापारी, जो अधिनियम की धारा 32 के अधीन अनुज्ञप्तिधारी है, जिन्हें पूर्व, प्रांगण में भूमि/संरचना आवंटित है और जो नीलामी की तारीख से पूर्ववत् कम-से-कम 5 वर्ष से निरन्तर क्रियाशील रहे हैं, का प्रथम नीलामी में भूखण्ड/संरचना आवंटन में प्राथमिकता दी जायेगी. तथापि, नीलामी में मण्डी के समस्त अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों को पश्चातवर्ती नीलामी में भाग लेने हेतु अनुज्ञात किया जायेगा.

(ख) अधिसूचना के पश्चात् प्रथम बार प्रांगण की स्थापना होने या किसी विनिर्दिष्ट उपज के विपणन के प्रयोजन के लिए मण्डी प्रांगण के किसी खण्ड की स्थापना होने की दशा में ऐसे व्यापारी को, जिनके पास अधिनियम की धारा 32 के अधीन अनुज्ञप्ति है, तथा जो उस विनिर्दिष्ट उपज के व्यापार में पहले से लगे हुए हैं, नीलामी में भूमि या संरचना के आवंटन के लिए प्राथमिकता दी जायेगी.

4. **कतिपय वर्गों के लिये भू-खण्डों तथा संरचनाओं का आरक्षण.**—(1) आवंटन के लिये प्रस्तावित भू-खण्डों तथा संरचनाओं में से 10 प्रतिशत भू-खण्ड तथा संरचनायें, अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के लिये तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित रखे जाएंगे.

(2) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति उनके लिए आरक्षित भू-खण्डों तथा संरचनाओं के आवंटन के लिये पात्र होंगे.

स्पष्टीकरण.—आरक्षित भू-खण्डों तथा संरचनाओं की संख्या के निर्धारण में आधे कम भाग (फ्रेक्शन) को छोड़ दिया जाएगा और आधे या आधे से अधिक भाग को अगले अंक तक पूर्णांकित किया जाएगा.

5. **विज्ञापन का प्रकाशन.**—(1) मण्डी समिति, नीलाम/प्रस्थापनाओं की संवीक्षा की तारीख से कम से कम 15 दिन पूर्व, दो प्रमुख स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित करवाएगी. विज्ञापन में आवंटित की जाने वाली भूमि या संरचनाओं की विशिष्टियां नीलाम/प्रस्थापनाओं की संवीक्षा की तारीख, समय एवं स्थान तथा नीलाम/प्रस्थापना के प्रमुख निबंधन और शर्तों के बारे में जानकारी अंतर्विष्ट होगी.

(2) विज्ञापन की प्रतियां सम्बन्धित मण्डी प्रांगण में सहज दृश्य स्थानों पर प्रदर्शित की जाएंगी तथा मण्डी समिति और स्थानीय नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत, जनपद पंचायत तथा तहसील कार्यालय के सूचना पटल (नोटिस बोर्ड) पर चिपकाई जाएगी.

6. **प्रस्थापना प्ररूप का प्रदाय.**—विज्ञापन के प्रकाशन के साथ-साथ ही, मण्डी समिति के कार्यालय में, नीलाम की प्रस्थापनाओं की संवीक्षा की तारीख के ठीक पूर्व के अंतिम कार्य दिवस तक, कार्य के घंटों के दौरान, मांगे जाने पर, निम्नलिखित दस्तावेजों को किसी भी व्यक्ति को प्रदाय कराने की उचित व्यवस्था की जाएगी, अर्थात् :—

(एक) नीलाम/प्रस्थापना की शर्तों का विवरण;

(दो) प्रस्थापना को प्रस्तुत करने के लिये प्ररूप (केवल उस स्थिति में जब आवंटन, प्रस्थापनाओं के माध्यम से किया जाना हो) मण्डी समिति प्रस्थापना के प्ररूप के प्रदाय के लिये, युक्तियुक्त फीस प्रभारित कर सकेगी.

7. **अग्रिम धन.**—(1) केवल ऐसा व्यक्ति जो मण्डी समिति के कार्यालय में उपनियम (2) में यथाविनिर्दिष्ट अग्रिम धन, नीलाम/प्रस्थापना की संवीक्षा के पूर्ववर्ती तारीख से अंतिम दिन तक निक्षेप कर देता है, नीलाम में बोली लगाने/प्रस्थापना प्रस्तुत करने के लिए पात्र होगा.

(2) अग्रिम धन के रूप में जमा की जाने वाली रकम निम्नानुसार होगी, अर्थात्:—

(क) **विद्यमान संरचना के लिये.**—उस 'भूमि की आरक्षित कीमत' सहित जिस पर संरचना निर्मित हो, संरचना की 'वर्तमान प्राक्कलित मूल्य' की 10 प्रतिशत निकटस्थ सौ रुपये तक पूर्णांकित करते हुए;

(ख) **सनिर्मित की जाने वाली प्रस्तावित संरचना के लिये.**—उस 'भूमि की आरक्षित कीमत' सहित जिस पर संरचना सनिर्मित की जाने वाली हो, संरचना के निर्माण के लिये 'प्राक्कलित निर्माण लागत' के दस प्रतिशत निकटस्थ सौ रुपये तक पूर्णांकित करते हुए;

(ग) **भूखण्ड आवंटन के लिये.**— ''भूमि की आरक्षित कीमत'' का 10 प्रतिशत निकटस्थ 100/- तक पूर्णांकित करते हुए.

अग्रिम धन नकद या बैंक ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक के रूप में जमा किया जा सकेगा, जिसके लिये भुगतानकर्ता को एक रसीद जारी की जाएगी.

(3) उस दशा में जब आवंटन, प्रस्थापना आमंत्रित करके दिया जाना हो तो, प्रस्थापना करने वाले व्यक्ति द्वारा सम्यक् रूप से भरा हुआ प्रस्थापना प्ररूप, अग्रिम धन जमा करने की रसीद की फोटो प्रति के साथ, एक मुहरबंद लिफाफे में प्रस्थापना की संवीक्षा की पूर्ववर्ती तारीख से ठीक पूर्व के अंतिम कार्य दिवस तक मण्डी समिति के कार्यालय में प्रस्तुत किया जाएगा. उसके पश्चात् प्राप्त हुई प्रस्थापनाओं पर विचार नहीं किया जाएगा.

स्पष्टीकरण.—इन नियमों के प्रयोजन के लिये:—

(एक) 'भूमि की आरक्षित कीमत' से अभिप्रेत है 'राजस्व पुस्तक परिपत्र भाग चार-क्रमांक-1 के पैरा 23' में अनुसार तत्समय लागू

दरों के आधार पर प्राक्कलित कीमत; और—

(दो) विद्यमान 'संरचना का वर्तमान/प्राक्कलित मूल्य' से अभिप्रेत है, प्रबन्ध संचालक द्वारा प्राधिकृत अभियन्ता या मूल्यांकक द्वारा 'मध्यप्रदेश कार्य विभाग मैनुअल' में दिये गये निदेशक-सिद्धान्तों के आधार पर यथानिर्धारित मूल्य;

(तीन) सन्निर्माण को 'प्राक्कलित निर्माण लागत' से अभिप्रेत है, संनिर्मित की जाने के लिये प्रस्तावित संरचना का प्रबन्ध संचालक द्वारा प्राधिकृत अभियन्ता द्वारा 'मध्यप्रदेश कार्य विभाग मैनुअल' में दिये गये निदेशक— सिद्धान्तों के आधार पर यथा-प्राक्कलित लागत.

8. **नीलाम समिति का गठन तथा नीलाम का संचालन.**—(1) यथास्थिति, नीलाम या प्राप्त प्रस्थापना की संवीक्षा का संचालन, एक नीलाम समिति द्वारा किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—

(एक)	मण्डी समिति का अध्यक्ष (चेयरपर्सन)/भारसाधक अधिकारी	—	अध्यक्ष (चेयरपर्सन)
(दो)	कलेक्टर या उसका प्रतिनिधि, जो डिप्टी कलेक्टर की पदश्रेणी से निम्न पदश्रेणी का न हो;	—	सदस्य
(तीन)	बोर्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय का उपसंचालक या से प्रतिनिधि, जो सहायक संचालक की पदश्रेणी से निम्न पदश्रेणी का न हो;	—	सदस्य
(चार)	बोर्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय का कार्यपालन यंत्री या उसका प्रतिनिधि, जो सहायक यंत्री की पदश्रेणी से निम्न पदश्रेणी का न हो;	—	सदस्य
(पांच)	संबंधित मण्डी समिति का सचिव	—	सदस्य-सचिव.

मण्डी समिति के अध्यक्ष (चेयरपर्सन)/भारसाधक अधिकारी की अनुपस्थिति में, नीलाम समिति की अध्यक्षता कलेक्टर या उसके प्रतिनिधि द्वारा की जायेगी और उसके भी अनुपस्थित रहने की दशा में, बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय का उपसंचालक या उसका प्रतिनिधि सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा.

(2) नीलाम समिति के सदस्यों को नीलाम/प्रस्थापनाओं की संवीक्षा के लिये नियत तारीख से कम से कम 7 दिन पूर्व सूचना भेजी जाएगी.

(3) नीलाम/प्रस्थापनाओं की संवीक्षा के समय, उपनियम (1) में यथाविनिर्दिष्ट सदस्यों में से कम से कम तीन सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होगी, अन्यथा कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी.

(4) यदि आरक्षित भूखण्डों/संरचनाओं के आवंटन के लिये अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित कोई व्यक्ति आगे नहीं आता है तो ऐसे भूखण्डों/संरचनाओं को अनारक्षित माना जाएगा तथा तद्नुसार उनका निपटारा किया जाएगा.

(5) नीलाम की समाप्ति/प्रस्थापनाओं की संवीक्षा समाप्त होने के तत्काल पश्चात् नीलाम समिति के सदस्य-सचिव द्वारा कार्यवाहियों का कार्यवृत्त तैयार करेगा, जिसमें उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किये जाएंगे.

(6) कार्यवृत्त के आधार पर, प्रथम दो उच्चतम बोली लगाने वाले व्यक्तियों को छोड़कर, समस्त प्रतिभागियों द्वारा जमा किया गया, अग्रिम धन अविलम्ब उन्हें वापस कर दिया जाएगा.

9. **बोली/प्रस्थापना की स्वीकृति.**—(1) नीलाम/प्राप्त प्रस्थापनाओं की संवीक्षा समाप्त होने के 10 दिन के भीतर, मामले में विनिश्चय लेने के लिए मण्डी समिति की बैठक बुलाई जाएगी.

(2) मण्डी समिति द्वारा उच्चतम बोली/प्रस्थापना के लिये स्वीकृति केवल तभी दी जाएगी जबकि वह अपसेट कीमत से कम न हो, अन्यथा उसे अस्वीकृत कर दिया जाएगा.

स्पष्टीकरण 1.—इन नियमों के प्रयोजनों के लिये 'अपसेट कीमत' से अभिप्रेत है :—

(एक) विद्यमान संरचना के लिये : उस भूमि की, जिस पर वह संरचना सनिर्मित है, कीमत के साथ संरचना का ''वर्तमान प्राक्कलित मूल्य'';

(दो) सनिर्मित की जाने के लिये प्रस्तावित संरचना के लिये : उस भूमि की, जिस पर सनिर्माण किया जाना है, आरक्षित कीमत के साथ संरचना की प्राक्कलित निर्माण लागत;

(तीन) भू-खण्ड के लिए ''भूमि की आरक्षित कीमत''

स्पष्टीकरण 2.—प्रथम तल पर तथा ऊपर विद्यमान या संनिर्माण के लिये प्रस्तावित संरचना के लिए 'अपसेट कीमत' उपरोक्तानुसार प्राक्कलित रकम से 5 प्रतिशत कम मानी जाएगी.

10. **बोली/प्रस्थापना की रकम निक्षेप करना.**—(1) -उच्चतम बोली लगाने वाले/प्रस्थापना करने वाले व्यक्ति से, मण्डी के सचिव से उसे यह लिखित सूचना मिलने पर कि उसकी बोली/प्रस्थापना मण्डी समिति द्वारा स्वीकार कर ली गई है, 30 दिन के भीतर निम्नलिखित रकम निक्षेप कराए जाने की अपेक्षा की जाएगी, अर्थात्:—

(एक) विद्यमान संरचना तथा भूखण्ड लिये : बोली/प्रस्थापना की पूर्ण रकम, जिसमें अग्रिम धन की रकम समायोजित की जाएगी.

(दो) बोर्ड/मण्डी समिति के माध्यम से सनिर्मित की जाने वाली प्रस्तावित संरचना के लिये : बोली/प्रस्थापना की 50 प्रतिशत रकम, जिसमें अग्रिम धन की रकम को समायोजित किया जाएगा.

(2) यदि सफल बोली लगाने वाले व्यक्ति को स्वयं संरचना का सनिर्माण कराने की अनुमति दी गई हो तो, उसके द्वारा जमा अग्रिम धन वापस नहीं लौटाया जाएगा और मण्डी समिति के पास निक्षिप्त रहेगा.

(3) जैसे ही उच्चतम बोली लगाने वाला/प्रस्थापना करने वाला व्यक्ति उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट रकम जमा कर देता है, तो दूसरी उच्चतम बोली लगाने वाला व्यक्ति का अग्रिम धन उसे वापस कर दिया जाएगा.

(4) उच्चतम बोली लगाने वाले/प्रस्थापना करने वाले व्यक्ति के मामले में उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट रकम विहित कालावधि के भीतर निक्षेप नहीं की जाती है तो उसकी अग्रिम धन समपहृत कर लिया जाएगा तथा मण्डी समिति द्वितीय उच्चतम बोली/प्रस्थापना स्वीकार कर सकेगी, बशर्ते कि वह अपसेट कीमत से कम नहीं हो.

यदि द्वितीय उच्चतम बोली लगाने वाले/प्रस्थापना करने वाला व्यक्ति भी मण्डी समिति से सूचना प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट रकम निक्षेप नहीं करता है तो उसका अग्रिम धन भी समपहृत कर लिया जाएगा.

(5) विद्यमान संरचना के मामले में, उप-नियम (1) के अधीन निक्षिप्त सम्पूर्ण रकम को तथा उस संरचना के मामले में, जिसका सनिर्माण सफल बोली लगाने वाले व्यक्ति द्वारा स्वयं किया जाना है, निक्षिप्त रकम को अग्रिम धन के रूप में, 'सुरक्षा निक्षेप' माना जाए तथा वह अनुज्ञप्ति की सम्पूर्ण अवधि के दौरान मण्डी समिति के पास बनी रहेगी और उस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा.

(6) यदि कोई भी बोली/प्रस्थापना स्वीकार नहीं की जाती है तो, मण्डी समिति द्वारा पुनः नीलाम/प्रस्थापना आमंत्रित करने की कार्यवाही की जाएगी.

दूसरे प्रयास में भी प्राप्त बोली/प्रस्थापना स्वीकार न करने की दशा में, मण्डी समिति द्वारा तीसरी बार नीलाम/प्रस्थापना आमंत्रित करने की कार्यवाही की जाएगी.

(7) (एक) यदि तीसरी बार नीलाम/प्रस्थापनाओं के आमंत्रण में, उच्चतम बोली/प्रस्थापना की 'अपसेट कीमत' से कम हो तो मण्डी

समिति निम्नलिखित विकल्पों में से एक विकल्प के अनुसार और कार्यवाही करेगी, अर्थात् :—

(क) यदि उच्चतम बोली/प्राप्त प्रस्थापना 'अपसेट कीमत' से कम है किन्तु 25 प्रतिशत के भीतर है तो उसे स्वीकार करने की अनुमति देने के लिये प्रबंध संचालक को सिफारिश करना; या

(ख) संरचना को किराये के आधार पर (केवल विद्यमान संरचनाओं के मामले में) आवंटन के लिये कार्यवाही प्रारंभ करने के लिये मण्डी समिति के सचिव को निदेशित करना.

(दो) प्रबंध संचालक, तीसरी बार के नीलाम में/प्रस्थापना के आमंत्रण में प्राप्त बोली/प्रस्थापना की स्वीकृति, मण्डी समिति की सिफारिश पर दे सकेगा, यदि प्राप्त उच्चतम बोली/प्रस्थापना 'अपसेट कीमत' के 25 प्रतिशत के भीतर हो.

11. **करार का निष्पादन.**—मण्डी समिति द्वारा बोली/प्रस्थापना के लिये स्वीकृति दिये जाने पर संबंधित व्यक्ति को, निष्पादित किये जाने वाले करार का एक प्ररूप दिया जाएगा, जिसे वह 15 दिन के भीतर अपने स्वयं के खर्च पर निष्पादित तथा रजिस्ट्रीकृत कराएगा और उसकी एक प्रति मण्डी समिति के कार्यालय में जमा कराएगा. ऐसा कर दिये जाने पर उसे 30 वर्ष के लिये अनुज्ञप्ति जारी की जायेगी.

12. **संरचनाओं का सनिर्माण.**—(1) सामान्यत: प्रस्तावित संरचनाओं का निर्माण बोर्ड/मण्डो समिति द्वारा किया जाएगा परन्तु सफल बोली लगाने वाले व्यक्ति के अनुरोध पर, जो मण्डी समिति द्वारा समयक् रूप से पृष्ठांकित किया गया हो, प्रबन्ध संचालक उसे, बोर्ड/मण्डी समिति द्वारा अनुमोदित अभिन्यास तथा भवन के नक्शे (बिल्डिंग-प्लान) के अनुसार, स्वयं सनिर्माण कार्य करने की अनुज्ञा दे सकेगा. ऐसी अनुज्ञा, व्यापारियों/प्रसंस्करणकर्ताओं के किसी समूह या संघ को भी अपने सदस्यों के लिये दुकान-सह-गोदामों के संनिर्माण के लिये दी जा सकेगी तथापि भू-खण्ड के आवंटन की दशा में भी मंडी समिति द्वारा अभिन्यास तथा भवन के नक्शे (बिल्डिंग प्लान) तथा प्रस्तावित सनिर्माण कार्य करने की अनुज्ञा दी जायेगी और इस अनुज्ञा के अनुसार ही आवंटी अनुज्ञप्तिधारी इस अनुज्ञा के अनुसार ही संरचना का निर्माण करेगा.

(2) बोर्ड/मण्डी समिति के माध्यम से किये जाने वाले किसी संनिर्माण कार्य के लिये सफल बोली लगाने वाले व्यक्ति द्वारा नियम 10 के अधीन पूर्व में निक्षेप की गई रकम के बाद अतिशेष रकम का भुगतान निम्नानुसार किया जाना अपेक्षित होगा, अर्थात्:—

(एक)	स्वीकृत बोली/प्रस्थापना की 25 प्रतिशत रकम :	लिन्टल स्तर तक कार्य पूर्ण हो जाने की सूचना प्राप्त होने के 7 दिन के भीतर.
(दो)	स्वीकृत बोली/प्रस्थापना की 25 प्रतिशत रकम :	छत की ढलाई का कार्य पूर्ण हो जाने की सूचना प्राप्त होने के 7 दिन के भीतर.

उपरोक्त किश्तों के भुगतान में विलम्ब के लिये 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से विलम्ब फीस देय होगी.

(तीन) यदि बोर्ड/मण्डी समिति स्वीकृत बोली/ प्रस्थापना की स्वीकृत रकम में निर्माण कार्य पूर्ण करने में समर्थ न हो, तो उस पर अतिरिक्त व्यय, यदि कोई हो, बोर्ड/मण्डी समिति द्वारा वहन किया जाएगा.

(चार) **अनुज्ञप्तिधारी को संरचना के सन्निर्माण के लिये वित्त उपलब्ध कराने हेतु अनापत्ति का जारी किया जाना.**—मंडी समिति, आवंटी अनुज्ञप्तिधारी को ऋण उपलब्ध कराने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करेगी तथा सुनिश्चित करेगी कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ऋण का वित्त संस्था को प्रतिसंदाय करने में असमर्थ होने की दशा में वित्तीय संस्था, अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी को इन नियमों के उपबंधों तथा प्रक्रिया के अधीन भू-खण्ड या संरचना की नीलामी कर सकेगी.

13. **अनुज्ञप्ति फीस.**—(1) मण्डी समिति इन नियमों के अधीन प्रदत्त अनुज्ञप्ति के लिये निम्नलिखित न्यूनतम वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस उद्गृहीत करेगी—

मण्डी की श्रेणी	वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस (रुपये प्रति वर्गमीटर)
क	40.00
ख	30.00
ग	25.00
घ	20.00

अनुज्ञप्ति प्रदान करने के पश्चात् मण्डी समिति के वर्गीकरण में किए गये किसी परिवर्तन के कारण मूलत: नियत की गई अनुज्ञप्ति फीस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा.

(2) मण्डी समिति द्वारा उप नियम (1) में विनिर्दिष्ट फीस की दरें में प्रत्येक पांच वर्ष के पश्चात् पुनरीक्षित की जाएगी दरों में कम से कम 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी.

(3) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस का प्रत्येक वर्ष अप्रैल मास के प्रथम: सप्ताह में अग्रिम में भुगतान किया जाएगा तथा भुगतान में विलम्ब होने पर 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से अधिभार उद्गृहीत किया जाएगा.

14. **अनुज्ञप्ति के निबन्धन तथा शर्तें.**—(1) अनुज्ञप्तिधारी आवंटित भूमि/संरचना का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिये करेगा, जिसके लिये वह उसको आवंटित किया गया है. भूमि/संरचना का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन या व्यावसायिक कार्य के लिये सर्वथा निषिद्ध होगा.

(2) अनुज्ञप्ति द्वारा आवंटित भूमि/संरचना अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य व्यक्ति को किराये या संविदा पर नहीं दिया जाएगा, न ही उसका किसी अन्य रीति में उपयोग करने की अनुज्ञा दी जाएगी.

(3) अनुज्ञप्तिधारी, मण्डी समिति की अनुज्ञा के बिना भूमि/संरचना का किसी व्यक्ति को हस्तांतरण नहीं करेगा.

(4) अनुज्ञप्तिधारी, बोर्ड या मण्डी समिति के अधिकारियों को, आवंटित भूमि/संरचना का निरीक्षण करने के लिये कार्य समय के दौरान किसी भी समय आवश्यक सुविधा देगा.

(5) अनुज्ञप्तिधारी, आवंटित संरचना के अनुरक्षण के लिये जिम्मेदार होगा तथा आवंटित संरचना को सदैव साफ-सुथरा रखेगा. अनुरक्षण में असावधानी की दशा में, मण्डी समिति अनुज्ञप्तिधारी को आवश्यक मरम्मत तथा अनुरक्षण कार्य दो मास के भीतर पूर्ण करने के लिये निर्देश दे सकेगी. उसके ऐसा करने में असफल रहने पर, मण्डी समिति आवश्यक मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्य स्वयं करा सकेगी तथा उसमें उपगत हुए व्यय की वसूली अनुज्ञप्तिधारी से कर सकेगी.

(6) अनुज्ञप्तिधारी संबंधित प्राधिकारी को विद्युत्, पानी तथा अन्य सेवाओं के लिये देय प्रभारों का, नियमित रूप से भुगतान करने के लिये जिम्मेदार होगा.

(7) अनुज्ञप्तिधारी उसको आवंटित भूखण्ड/संरचना के बाहर उपलब्ध खुली भूमि का उसकी निजी सुविधा के लिये उपयोग नहीं करेगा तथा वहां पर अपने वाहन, माल आदि रखकर यातायात के मुक्त प्रवाह में किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचाएगा.

(8) उस दशा में जब अनुज्ञप्तिधारी अपनी अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण कराने की वांछा रखता हो तो वह नवीकरण के लिये मण्डी समिति द्वारा विहित की गई फीस के साथ ऐसा आवेदन मण्डी समिति के कार्यालय में, अनुज्ञप्ति का अवसान होने की तारीख से कम से कम 30 दिन पूर्व प्रस्तुत करेगा.

(9) अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति की समाप्ति या रद्दकरण या अनुज्ञप्ति के अभ्यर्पित करने के 30 दिन के भीतर मण्डी समिति के सचिव को भूमि/संरचना का रिक्त कब्जा सौंप देगा.

15. **अनुज्ञप्ति का अन्तरण.**—(1) मण्डी समिति, अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन पर निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए अनुज्ञप्ति का अन्तरण कर सकेगी, अर्थात् :—

(क) अनुज्ञप्तिधारी के ऊपर मण्डी समिति की कोई शोध्य बकाया नहीं होना चाहिए तथा उसे 'सुरक्षा निक्षेप' उस व्यक्ति के नाम पर अन्तरण किये जाने के लिये सहमत होना चाहिए, जिसे वह अनुज्ञप्ति अन्तरित कराना चाहता है; और

(ख) वह व्यक्ति, जिसके नाम पर अनुज्ञप्ति अन्तरित की जाना है, इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान किये जाने हेतु पात्र होना चाहिए.

(2) मण्डी समिति द्वारा अनुज्ञप्ति के अन्तरण के लिये अनुज्ञा दी जाने की दशा में, अन्तरणकर्ता की 'सुरक्षा निक्षेप', अन्तरिती के नाम पर अन्तरित की गई समझी जाएगी.

(3) मण्डी समिति, दस हजार रुपये की सीमा के भीतर, ऐसी फीस को प्रभारित कर सकेगी, जो वह अनुज्ञप्ति के अन्तरण के लिये समय-समय पर अवधारित करे.

16. **अनुज्ञप्ति का नवीकरण और अभ्यर्पित करना.**—(1) मण्डी समिति, अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन पर सामान्यत: अनुज्ञप्ति के नवीकरण की अनुज्ञा देगी, यदि :—

(क) उसके ऊपर कोई देय बकाया नहीं है; और

(ख) उसने अनुबन्ध की किसी शर्त का अतिक्रमण नहीं किया है.

तथापि, अनुज्ञप्ति के नवीकरण के प्रत्येक अवसर पर मण्डी समिति अनुबन्ध में ऐसी नई शर्तें समाविष्ट कर सकेगी जो उसकी राय में मण्डी प्रांगण के विकास और उचित प्रबंधन के लिये आवश्यक हों. इस संबंध में मण्डी समिति का विनिश्चय अन्तिम तथा अनुज्ञप्तिधारी पर बाध्यकारी होगा.

(2) उस दशा में जब अनुज्ञप्तिधारी, उसे आवंटित भूमि/संरचना को अनुज्ञप्ति की समाप्ति के पूर्व अभ्यर्पित (सेरेण्डर) करने की इच्छा रखता है, तो वह मण्डी समिति को दो मास की सूचना देकर, ऐसा कर सकेगा.

(3) अनुज्ञप्ति का नवीकरण न किये जाने या किसी कारण से अनुज्ञप्ति रद्द किये जाने या अनुज्ञप्ति अभ्यर्पित किये जाने की दशा में तथा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मण्डी समिति को आवंटित भूमि/संरचना का रिक्त कब्जा परिदत्त किये जाने पर, उसकी 'सुरक्षा निक्षेप', को उसके ऊपर बकाया देय का समायोजन करने के पश्चात् उसे लौटा दिया जाएगा. यदि संरचना का संनिर्माण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्वयं कराया गया हो, तो उसे संरचना की 'अनुमानित वर्तमान मूल्य' का भी भुगतान किया जाएगा.

17. **अनुज्ञप्ति का रद्द या निलम्बित किया जाना.**—(1) मण्डी समिति इन नियमों के अधीन दी गई अनुज्ञप्ति को निम्नलिखित आधारों पर रद्द या निलम्बित कर सकेगी, अर्थात् :—

(एक) इन नियमों के किसी नियम का या नियम 11 के अधीन निष्पादित अनुबंध की किसी शर्त का अतिक्रमण किया जाना;

(दो) वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस के भुगतान में 6 मास से अधिक का विलम्ब किया जाना ;

(तीन) अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों या उपविधियों के अधीन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा व्यापारी, प्रसंस्करणकर्ता, भाण्डागारपाल आदि के रूप में धारित अनुज्ञप्ति का रद्द किया जाना; और

(चार) आवंटित संरचना में, 6 मास से अधिक की कालावधि तक लगातार कोई कारबार न किया जाना:

परन्तु अनुज्ञप्तिधारी को ऐसे निलम्बन या रद्दकरण के विरुद्ध कारण बताने का अवसर दिये बिना अनुज्ञप्ति निलम्बित या रद्द नहीं की जाएगी.

18. **विद्यमान संरचनाओं का किराये के आधार पर आवंटन.**—(1) मण्डी समिति द्वारा नियम 10 के अधीन विद्यमान संरचनाओं को किराये पर उठाने का विनिश्चय करने की दशा में, मण्डी समिति का सचिव, यथास्थिति, नीलाम द्वारा या प्रस्थापनाएं आमंत्रित करके उनके आवंटन के लिये कार्रवाई करेगा तथा आवश्यक उपान्तरणों सहित उसी प्रक्रिया का (यथावश्यक परिवर्तन सहित) अनुसरण करेगा जो कि इन नियमों में विद्यमान संरचनाओं को अनुज्ञप्ति पर आवंटित किये जाने के लिये अधिकथित हैं.

(2) नीलाम में बोली लगाने/प्रस्थापना करने की पात्रता के लिये निक्षेप किया जाने वाला अग्रिम धन नियम 7 के उप नियम (2) के उपबंधों के अनुसार संगणित किया जाएगा तथा उसका निक्षेप किया जाना आवश्यक होगा.

(3) सफल बोली लगाने वाले/प्रस्थापना करने वाले व्यक्ति द्वारा निक्षेप किए अग्रिम धन को 'सुरक्षा निधि' माना जाएगा तथा वह करार की समाप्ति तक मण्डी समिति के पास निक्षिप्त रहेगी तथा उस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा.

(4) मण्डी समिति के अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए, उच्चतम किराया देने वाले व्यक्ति को संरचना का आवंटन किया जाएगा एवं कलेक्टर से वर्तमान में प्रचलित मापदण्ड अनुसार न्यूनतम मासिक किराया निर्धारित कराकर नीलाम/प्रस्थापना द्वारा उच्चतम किराया हेतु बोली देने वाले व्यक्ति को आवंटन किया जायेगा.

(5) किराये के लिये करार अधिकतम 3 वर्ष की कालावधि के लिये किया जाएगा तथा नवकरणी होगा.

(6) करार में उसके नवीकरण के समय पर किराये में समुचित वृद्धि, मण्डी समिति की अनुज्ञा के बिना अन्तरण का प्रतिषेध, करार की शर्तों का अतिक्रमण किये जाने पर करार का निलम्बन या रद्दकरण आदि के संबंध में उपबंध होंगे.

(7) करार समाप्त होने पर, किरायेदार की 'सुरक्षा निक्षेप', उसके विरुद्ध परादेय शोध्यों का समायोजन करने के पश्चात्, उसे लौटा दिया जाएगा.

19. **अपील.**—(1) इन नियमों के अधीन पारित किसी आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति आदेश की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर, प्रबंध संचालक को अपील कर सकेगा.

(2) प्रबन्ध संचालक, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे, तो उस आदेश को, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, ऐसी कालावधि के लिये जैसी वह उचित समझे, रोक सकेगा.

(3) प्रबन्ध संचालक पारित आदेश अन्तिम होगा तथा दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा.

20. **छूट.**—(1) इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ये नियम,—

(एक) बी.ओ.टी. (निर्माण, प्रवर्तन, अन्तरण) स्कीम के अधीन सनिर्मित की जाने वाली संरचनाओं के लिये लागू नहीं होंगे. ऐसी संरचनाओं के लिये अनुज्ञप्ति तथा करार के निबन्धन एवं शर्तों का अवधारण, मण्डी समिति द्वारा, प्रबन्ध संचालक के पूर्वानुमोदन से पृथकतः किया जाएगा, तथा

(दो) कतिपय सुविधाओं जैसे संविदा पर दिये गये कैन्टीन या इलेक्ट्रानिक वे-ब्रिज, एग्रीक्लिनिक, सुलभ शौचालय, कृषक विश्रामगृह एवं एस. टी. डी., पी. सी. ओ. आदि के संचालन के समनुदेशन पर लागू नहीं होंगे. इस प्रवर्ग को विनिश्चित किये जाने के संबंध में प्रबंध संचालक का विनिश्चिय अंतिम होगा.

(2) ये नियम, विद्यमान किसी मण्डी प्रांगण के पुनरावस्थापन (रिलोकेशन) के लिये, नये स्थान पर विकसित किये जा रहे मण्डी प्रांगण में भूमि या संरचनाओं के आवंटन के लिये ऐसे उपांतरणों के साथ लागू होंगे जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचित करे. तथापि ऐसे उपान्तरण ऐसी सीमित कालावधि के लिये प्रभावशील रहेंगे—जैसा कि प्रबंध संचालक विनिर्दिष्ट करे.

21. **निरसन एवं व्यावृत्ति.**—इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व, इस विषय पर तत्समय प्रवृत्त **'मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (भूमि एवं संरचना का आवंटन) नियम, 2007'** तथा समस्त अन्य नियम एवं आदेश, इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख से निरस्त हो जाएंगे :

परन्तु इन नियमों के प्रारंभ होने से पूर्व किराये, अनुज्ञप्ति या पट्टे पर दी गई भूमि या संरचनाओं के संबंध में ये नियम, उनसे संबंधित वर्तमान करार के समाप्त होने पर ही प्रभावशील होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. बघेल, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 25 मई 2009

क्र. डी-15-01-09-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25 मई 2009 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. बघेल, अपर सचिव.